E-mail: cpdufrmp@gmail.com
Phone & Fax: 0135-2608576

कार्यालयः मुख्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पताः 24, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून. 248 001

पत्रांक 348 /5–1 दिनांक, देहरादून, 06 सितम्बर, 2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका), देहरादून के प्रयोगार्थ निम्न विवरणानुसार डीजल चालित वाहन मासिक एवं दैनिक दर पर माह नवम्बर, 2021 से लिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु ट्रैवल एजेंसी के रूप में वैध पंजीकृत आपूर्तिकर्ता अपना टेण्डर प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा इस कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रेषित करने का कष्ट करें:–

मासिक दरों परः–

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित वाहन की आवश्यकता	टिप्पणी
1	टोयटा इनोवा (मध्य शीर्ष मॉडल) Toyota Innova (Middle Top Model)	आवश्यकतानुसार	1– कोटेशन/टेण्डर में इंगित की गयी दर में डीजल का खर्च सम्मिलित नही किया जाय। डीजल की आपूर्ति परियोजना द्वारा की जाएगी।
2	महेन्द्रा TUV 300 (6 सीटर शीर्ष मॉडल) Mahendra TUV 300 (Top 6 seater Model)	आवश्यकतानुसार	
3	महेन्द्रा बोलेरो Mahendra Bolero	आवश्यकतानुसार	
4	मारूति अरटिगा (7 सीटर मॉडल) (डीजल) Maurti Ertiga (7 seater Model) (Diesel)	आवश्यकतानुसार	

दैनिक दर परः–

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित वाहन की आवश्यकता	टिप्पणी
1	टोयटा इनोवा (मध्य शीर्ष मॉडल) Toyota Innova (Middle Top Model)	आवश्यकतानुसार	1– कोटेशन/टेण्डर में इंगित की गयी दर में डीजल सहित समस्त व्यय भी सम्मिलित किया जाय। परियोजना द्वारा डीजल अथवा किसी भी अन्य मद में आपूर्ति नहीं की जाएगी। 2– 250 कि0मी0 प्रतिदिन के सापेक्ष दर दी जाय।
2	महेन्द्रा TUV 300 (6 सीटर शीर्ष मॉडल) Mahendra TUV 300 (Top 6 seater Model)	आवश्यकतानुसार	
3	महेन्द्रा बोलेरो Mahendra Bolero	आवश्यकतानुसार	
4	मारूति अरटिगा (7 सीटर मॉडल) (डीजल) Maurti Ertiga (7 seater Model) (Diesel)	आवश्यकतानुसार	

किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा के सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण http://jicauttarakhand.org तथा वन विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.forest.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा देते समय निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 2,000/– (दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन सोसायटी (Uttarakhand Forest Resource Management Society) के नाम देहरादून में देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बिना प्राप्त हुई निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
2. निविदा के साथ रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन सोसायटी (Uttarakhand Forest Resource Management Society) के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा देहरादून में देय जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जाय। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जाय। दस्ती/पत्रवाहक के माध्यम से/व्यक्तिगत रूप से प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा **दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को अपरान्ह 5:00 बजे तक** इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. निविदाएं **दिनांक 11 अक्टूबर, 2021** को, अथवा उक्त तिथि को राजकीय अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस पर अपरान्ह 4:30 बजे इस हेतु गठित समिति के समक्ष अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस हेतु नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। निविदादाता यदि चाहें तो टेण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
5. निविदा की वैधता निविदा खोलने के दिनांक से 90 दिन के लिए होगी जिसे परस्पर सहमति से 90 दिन के उपरान्त भी बढ़ाया जा सकता है।
6. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा। इसके लिए कोई भी प्रतिवाद मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत सरकार/राज्य सरकार के साथ ट्रैवल एजेंसी के रूप में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता फर्म को आयकर व व्यापार कर हेतु फर्म के पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, PAN, GST आदि की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कभी भी 03 वर्ष (2018 मॉडल) से अधिक पुराने वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
10. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन उत्कृष्ट अवस्था (Excellent Condition) के होने चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए लैम्प, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी अनिवार्य है।

11. यात्रा के दौरान वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूलकिट, फर्स्ट एड बाक्स, आग बुझााने का संयन्त्र, साफ सुथरी सीट कवर, सफेद तौलिये, साफ सुथरी मैट, एयर फ्रेशनर एवं नियमित देख–रेख इत्यादि होना आवश्यक है। वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट, बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
12. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए। करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा – पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक की वर्दी, चालक लाईसेन्स आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के व्यय निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
13. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परिमिट होना चाहिए। करार के अन्तर्गत किसी भी निजी वाहन (Non transport Vehicle) को उपलब्ध नही किया जाएगा।
14. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान मासिक दर पर उपलब्ध कराये गये वाहन पर वाहन चालक की डयूटी प्रातः 8:00 से सायंः 8:00 बजे तक मान्य होगी तथा वाहन सम्बन्धित अधिकारी के अधीन/सुपुर्दगी में रहेगी एवं उनके कार्यालय/आवास पर ही जमा/खड़ी रहेंगी। वाहन चालक को सम्बन्धित कार्यालय/आवास पर डयूटी में आने एवं जाने की सुविधा स्वयं अथवा निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
15. वाहन चालक को सायः 8:00 बजे के बाद रात्रि भत्ता देय होगा, जिसकी धनराशि रू0 300/– प्रति रात्रि विश्राम या दोनों पक्षों के मध्य समझौते के अनुसार होगी।
16. करार के दौरान वाहन पर तैनात किए जाने वाले वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स तथा वाहन के समस्त दस्तावेज यथा आर0सी0, इन्श्योरेन्स, फिटनेस इत्यादि पूर्ण होने चाहिए। डयूटी पर वाहन चालक को निर्धारित वर्दी में रहना अनिवार्य है। उपलब्ध कराए गए वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ (Medically Fit), पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का मृदुभाषी, अनुशासित होना एवं उत्तम आचरण वाला होना अनिवार्य है।
17. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नही किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नही किया जाएगा। कार्यालय/विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र की अपेक्षा की जा सकती है।
18. करार के दौरान वाहन के किसी चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य सन्तोषजनक नही है, को हटाने हेतु निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे ऊपर वर्णित दृष्टि से उपयुक्त चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

19. कार्यालय/विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा, बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
20. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक को पर्याप्त पेशगी/अग्रिम धनराशि (Imprest cash) उपलब्ध करायी गयी हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय को वहन किया जा सके।
21. वाहन चालक की अनुपस्थिति/अवकाश की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था करने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
22. चालक का मानदेय, बीमा, वाहन का रख–रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हों, को सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन करना होगा। वाहन चालक किसी भी अधिकारी व कार्मिकों से यात्रा अवधि में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नही करेगा।
23. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय/स्तर पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
24. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से संबंधित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
25. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से संपर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
26. सामान्यतः मांग के अनुसार दैनिक दर पर मांगे जाने वाल वाहन की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा। उक्त समय का निर्धारण कार्यालय स्तर पर किया जायेगा, जो सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा।
27. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कही भी किया जा सकता है।
28. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को किसी अन्य को पुनः ठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
29. मासिक दरों पर लिए जाने वाले वाहनों के लिए ईंधन की खरीद एवं भरवाये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा स्वयं की जायेगी।
30. मासिक आधार पर लिए जाने वाले वाहन को प्रत्येक माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। किन्तु विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहन में चालित वाहन चालक को डयूटी पर बुलाया जा सकता है।

31. वाहन के लिए ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।

32. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

33. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

34. भुगतान की रीति

(एक) कार्य पूर्ति पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर किया जाएगा।

(दो) आयकर नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

(तीन) भुगतान के समय राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियत अन्य देयों/करों/उपकरों की कटौती भी नियमानुसार की जाएगी।

35. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित स्थितियों में कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security) को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा –

(एक) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(दो) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।

36. कर एवं अन्य देयकों का भुगतान

(एक) सभी प्रकार के टोल टैक्स/Fastag, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जाएगी।

(दो) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में यात्रा की निर्धारित अवधि हेतु अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जाएगी।

37. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्नि अधिनियमों/नियमों यथा श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पी0एफ0, ई0एस0आई0, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जैसा जहाँ लागू हो)

38. निविदादाता की स्थानीय रूप से देहरादून में एक समर्पित शाखा होना या पंजीकृत कार्यालय स्थापित होना अनिवार्य है, जो पिछले तीन वर्षों से कार्यशील हो। साथ ही सभी वाहन चालकों/ड्राइवरों की तैनाती देहरादून में होनी चाहिए।

39. निविदादाता को देहरादून शहर में किसी सरकारी संगठन/पी0एस0यू0 को हल्के मोटर वाहन निरन्तर 03 (तीन) वर्षों तक किराए पर दिये जाने का अनुभव होना अनिवार्य है। इन तीन (3) वर्षों

में से न्यूनतम एक वर्ष का निविदादाता द्वारा किसी एक संगठन (सरकारी संगठन/पी0एस0यू0) को सात (07) या उससे अधिक वाहन किराए पर दिये जाने का अनुभव हो। इससे सम्बन्धित दस्तावेजी प्रमाण निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना है। प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाणों की पुष्टि करने के लिए इस कार्यालय द्वारा क्रॉस–रेफरेंस किया जा सकता है। दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा अस्वीकृति के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

40. निविदादाता के पास प्रत्येक वाहन के लिए व्यापक बीमा कवर के साथ प्रचलित मोटर वाहन अधिनियम के तहत एजेंसी/प्रोप्राइटर के नाम पर व्यवसायिक रूप से पंजीकृत न्यूनतम 10 वाहन होने चाहिए। प्रत्येक वाहन के बीमा, आर0सी0 बुक और इससे सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा अस्वीकृति के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

41. फर्म का वार्षिक टर्नओवर चाटर्ड एकाउन्टेंट (सी0ए0) द्वारा जारी विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017–18, 2019–20 एवं 2020–21 में कम से कम रू0 20 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) प्रतिवर्ष से अधिक होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

42. फर्म/सेवा प्रदाता के पास पिछले 3 वर्षों या उससे अधिक के लिए उत्तराखण्ड वैट/जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जाय।

43. फर्म/सेवा प्रदाता को किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार के संगठन को ब्लैकलिस्ट नहीं होने के सम्बन्ध में का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

44. निविदादाता के पास प्रत्येक वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र होना चाहिए। फिटनेस प्रमाण–पत्र के दस्तावेजी प्रमाण के बिना बोली अस्वीकृति के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

45. अपर्याप्त निविदादाता प्राप्त होने या सम्बन्धित योग्यताओं के मामले में अपने विवेक पर मानदण्डों को निर्धारित करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन कार्यालय के पास होगा जिससे एक उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जा सके।

46. आयकर, वैट सहित व समस्त देय टैक्स का भुगतान फर्म को नियमानुसार करना होगा।

47. प्रत्येक निविदादाता केवल एक निविदा दे सकता है। निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा दिये जाने पर उसकी सभी निविदाओं को निरस्त कर दिया जाएगा।

48. Positive Networth सम्बन्धी विवरण के सम्बन्ध में CA Audited Balance Sheet सम्बन्धी अभिलेख की प्रति भी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

49. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ दिये गए दस्तावेज/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य माना जायेगा एवं निविदादाता के विरूद्व यथास्थिति विधिक कार्यवाही करने पर भी विचार किया जा सकता है।

50. कार्यादेश जारी किये जाने के 15 दिनों के अन्दर कार्यादेश में उल्लिखित संख्या के अनुसार वाहन/वाहनों को निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार उपलब्ध कराना होगा। इस सम्बन्ध में विलम्ब की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर आपूर्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

51. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

52. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून (उत्तराखण्ड) होगा।

53. निविदा सम्बन्धी लिफाफे के बाहर स्पष्ट अक्षरों में ''**उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका) के लिए मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा**'' लिखा जाना अनिवार्य है। निविदा लिफाफे के बाहर उक्तानुसार स्पष्ट रूप से लिखा न होने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

54. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सफल निविदादाता को कार्य–मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता को रू0 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

55. मासिक दर अथवा दैनिक दर पर उपलब्ध कराए गए वाहन निर्धारित मापदण्ड (specification) से निम्न स्तर के पाये जाने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आपूर्तिकर्ता को काली सूची (black list) में डाले जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

56. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में फर्म का पूरा नाम, पता, ई–मेल का पता, टेलीफोन नम्बर, PAN, GST आदि का विवरण देना अनिवार्य है। नाम/पता एवं अन्य विवरण अधूरा अथवा अस्पष्ट होने पर या निविदादाता को सूचना समय से न मिलने पर परियोजना का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

मुख्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना।

मुहरबन्द निविदा

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना,
24, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून ।

विषय : डीजल प्रयुक्त वाहन मासिक एवं दैनिक दर पर आपूर्ति।

सन्दर्भः आपका टेण्डर नोटिस 348/5–1, दिनांक 06 सितम्बर, 2021.

महोदय,

मैं उपरोक्त टेण्डर नोटिस में दी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करते हुए अपनी फर्म की ओर से निम्नलिखित प्रकार से निविदा प्रस्तुत करता हूँ। निविदा के साथ उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन सोसायटी (Uttarakhand Forest Resource Management Society) के नाम देहरादून में देय निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 2,000/– (दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सं0 .... के रूप में संलग्न है, जिसे वापस नहीं किया जाना है। निविदा के साथ प्रतिभूति धन के रूप में रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) का ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... जो ....बैंक से निर्गत है, संलग्न कर रहा हूँ।

मासिक दर वाहन उपलब्ध कराये जाने पर मेरी दरें जिसमें डीजल का व्यय सम्मिलित नही है, निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित वाहन की आवश्यकता	दर (टैक्स रहित)
1	टोयटा इनोवा (मध्य शीर्ष मॉडल) Toyota Innova (Middle Top Model)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति वाहन/माह
2	महेन्द्रा TUV 300 (6 सीटर शीर्ष मॉडल) Mahendra TUV 300 (Top 6 seater Model)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति वाहन/माह
3	महेन्द्रा बोलेरो Mahendra Bolero	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति वाहन/माह
4	मारूति अरटिगा (7 सीटर मॉडल) (डीजल) Maurti Ertiga (7 seater Model) (Diesel)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति वाहन/माह

दैनिक दर वाहन उपलब्ध कराये जाने पर मेरी दरें जिसमें डीजल का व्यय भी सम्मिलित है, निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित वाहन की आवश्यकता	दर (टैक्स रहित)
1	टोयटा इनोवा (मध्य शीर्ष मॉडल) Toyota Innova (Middle Top Model)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति दिन
2	महेन्द्रा TUV 300 (6 सीटर शीर्ष मॉडल) Mahendra TUV 300 (Top 6 seater Model)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति दिन
3	महेन्द्रा बोलेरो Mahendra Bolero	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति दिन
4	मारूति अरटिगा (7 सीटर मॉडल) (डीजल) Maurti Ertiga (7 seater Model) (Diesel)	आवश्यकतानुसार	₹ /प्रति दिन

मैं श्री .... पुत्र श्री .... फर्म/स्वामी ....घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरादायी होउँगा।

मैं लिखित रूप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम एवं शर्ते मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिए मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाता है, तो मैं रू0 100/– (एक सौ मात्र) में गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिए सहमत हूँ।

भवदीय,

फर्म की ओर से अधिकृत निविदादाता के हस्ताक्षर एवं नाम

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

....

टेलीफोन नम्बर ....

ई–मेल पता ....

फर्म का PAN नम्बर ....

फर्म का GST नम्बर ....

निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न हैंः–

1– फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

2– PAN, GST आदि की प्रमाणित छायाप्रति।

3– अन्य मांगे गये दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति।

चैक लिस्ट

क्र0सं0	विवरण
1	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का व्यापकर पंजीकरण एवं टिन नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख।
2	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का PAN Card के प्रति
3	निविदा शुल्क रू0 2000.00 (Non Refundable)
4	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का वाहन आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित फर्म के लैटर पैड पर स्व–हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण–पत्र।
5	वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जमा आयकर रिटर्न की रसीद की फोटो स्टेट कॉपी जिस पर निविदा–दाता के द्वारा भी हस्ताक्षर किये गए हों।
6	प्रस्तुत निविदा के अनुसार EMD से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट की प्रति
7	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) आदि के ब्लैक लिस्टेड न होने आदि के सम्बन्ध में वांछित शपथ–पत्र की मूल प्रति।
8	निविदा के इस अभिलेख (Tender Document) की प्रति।